ज़कात – इसलाम का स्तम्भ

इसलाम धर्म एक विश्वसम्बन्धी व सर्वगत धर्म है। जिस में अमन व शान्ति, चैन व सलामती कि शिक्षा दी जाती है। यही वह धर्म है जो आपस में एकता व सत्यनिष्ठा तथा भलाई व शुभचिन्ता का सन्देश देता है।

एक दूसरे के साथ हमदर्दी तथा आपस में मित्रता इसलाम धर्म कि दीप्तिमान विशेषता है। ऐसे मुहब्बत व प्रेम के मामलात को प्रचार देते हुए इसलाम धर्म ने ईमानवालों पर ज़कात फर्ज़ की है। ज़कात इस्लाम का 4 स्तम्भ है तथा नमाज़ के बाद सब से अधिक महत्व व विशिष्ठा इसी को प्राप्त है।

क़ुरान करीम में ज़कात का वर्णन 32 स्थान पर नमाज़ के साथ आया है तथा 15 स्थान पर सदखे का शब्द ज़कात के अर्थ में शामिल है। हम इस से आशंका कर सकते हैं के क़ुरान करीम में नमाज़ के साथ ज़कात का वर्णन आना इस की हैसियत को और ऊंचा स्तर दे रहा है।

इबादत का लक्ष्य अल्लाह से नज़दीकी तथा निर्माण की सेवा

इबादत के 2 बुनियादी उद्देश्य हैं। एक तो यह के बन्दा अपने पालनहार से नज़दीकी (निकटता व सटाव) प्राप्त करे। दुसरा यह के मोमिन बन्दा अपने मौला कि इबादत व उपासना करते हुए रब के निर्माण कि आवश्यकता को समापन कर सके। लोगों कि मदद करे, इन का योगदान करें तथा ज़कात के भीतर यह 2 बातें भी उपलब्ध है।

ज़कात के संपादन के द्वारा बन्दा अल्लाह तआला से नज़दीकी व सटाव इस तात्पर्य में प्राप्त करता है के वह एख विशेष संख्या में विशेष धन का मालिक होता है तथा जब इस में शरीअत के अहकाम के अनुसार से ज़कात

निकालता है, तो धन कि मुहब्बत व प्रेम तथा संसार में सम्पत्ति बटोरने कि भावना इस के मन व हृदय से निकलती है।

तथा वह केवल अपने रब कि सन्तुष्ठि का इच्छुक रहता है के मैं ने जो सम्पत्ति जमा की है, वह मेरी महनतों से जमा नहीं हुई है, बल्कि यह सम्पत्ति मुझे रब की कृपा से भाग्य हुई है। कमाया तो अवश्य मैं ने, किन्तु अल्लाह तआ़ला इस में बरकत ना देता होता, तो कभी सम्पत्ति जमा नहीं होती।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी कृपा से इस में बरकतें दिया है। तभी तो मैं अलह्मदुलिल्लाह यह राशि प्राप्त कर पाया हुँ। अब इस का आदेश है के मैं इस कि राह में खर्च करुँ। इस के बन्दों कि मदद करुँ।

अर्थात मोमिन बन्दा जब धन खर्च करता है तथा अपने धन की ज़कात संपादन करता है, तो इसे अल्लाह तआ़ला से नज़दीकी प्राप्त होती है। इसे रुहानी व आत्मिक उन्नति मिलती है, मन के भीतर पवित्रता व शुद्धता पैदा होती है फिर यह के बन्दों कि आवश्यकता भी पूरी होती है।

ज़कात कि कुल हिकमतों से एक यह भी है के मनुष्य का मन अल्लाह तआ़ला कि मुहब्बत व प्रेम का केन्द्र बन जाए। संसार से स्नेह इस के मन से निकल जाए, वह लालच व कामना का सेवक ना बने। बल्कि अल्लाह तआ़ला और इस के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के अहकाम का अनुयायी व शिष्य व आज्ञापालन बने।

अल्लाह तआ़ला धनवानों के प्रकार ग़रीबों को सम्मानित करने पर सर्वशक्तिशाली

याद रहे के अल्लाह तआ़ला ने धनवानों को जो सम्पत्ति दी है, वह ग़रीबों को भी दे सकता है, देने वाला अल्लाह तआ़ला बेनियाज़ है। किसी को इस

ने धन कि स्थिति पर ऊँचा दर्जा दिया तथा किसी को कम दर्जा दिया ताकि लोग एक दूसरे से लाभ उठा सकें तथा आपस में स्नेह व भाईचारा तथा मिलजुल कर योगदान का पुण्य दे सकें। अल्लाह तआ़ला ने क़ुरान मजीद में आदेश फरमायाः-

भाषांतरः- कया यह लोग आप के रब की रहमत व दयालुता को बाँटते हैं? सांसारिक जीवन में उनके जीवन-यापन के साधन हमने उनके बीच बाँटे हैं और हमने उनमें से कुछ लोगों की दूसरे कुछ लोगों से श्रेणियों की दृष्टि से उच्च रखा है, ताकि उनमें से वे एक-दूसरे से काम ले। तथा तुम्हारे रब की दयालुता उससे कहीं उत्तम है जिसे वे समेट रहे हैं।

(सुरह अज़ ज़ुख़रुफ़ः 43:32)

हम इस बात से पूर्ण रूप से सचेत है के हर किसी कि जीवन में आवश्यकता एक दूसरे से नाता रख दिया गया। क्यों के सब के सब विशाल महलों में होंगे तो इन्हें रचना व विकासित करने वाला कौन होगा?

अतः अल्लाह तआ़ला ने व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार रखा के बन्दे एक दूसरे से अपनी आवश्यकता पूरी करते रहें। वरना यह तो एक सच्चाई है के अल्लाह तआ़ला सब के लिए रोज़ी देना अपने ज़िम्मे पर फरमा लिया है।

मानव तो कया धरती पर सांस लेने वाले हर जीवित व प्रफुल्ल को वही रिस्ख व संपोषण दान फरमाता है। आदेश हो रहा हैः-

भाषांतरः- धरती पर जितने भी चलने-फिरनेवाले प्राणी है उसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है।

(सुरह हूदः 11:06)

यह अल्लाह तआ़ला रज़्ज़ाख व रहीम है के भूका उठाता है परन्तु किसी को भूका सुलाता नहीं, अपने बन्दे को संबोधित कर के ही सुलाता है।

ज़कात गरीबों का अधिकारः जो इन्हों लौटाया जाता है

अलह्मदुलिल्लाह! अल्लाह तआ़ला की यह कृपा व दया है तथा इसी प्रकार अल्लाह तआ़ला भी यह चाहता है के इस के बन्दे भी दुसरों का ध्यान रखने वाले बनें तथा दुसरों की आवश्यकता पूरी कर के अल्लाह के गुणों का प्रकाशन बनें।

अल्लाह के कलाम में अल्लाह तआ़ला ने अपने परहेज़गार, इ़बादत करने वाले बन्दों का वर्णन किया तथा इन कि दानशीलता व उदारता को अमन के लिए आदर्श बनाया। अर्थात आदेश हैः-

भाषांतरः- और इन के मालों में इन का अधिकार है जो मांगते हैं तथा इन का जो लोगों के सामने अपनी आवश्यकता का वर्णन भी नहीं करते।

(सुरह अल ज़ारियातः 51:19)

इन्हें अधिकारों के संपादन करवाते हुए अल्लाह तआ़ला ज़कात का उपहार दान किया, हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने ज़कात के अनुदेश करते हुए एक अत्यन्त ही प्यारा उपदेश अनुबंध किया है। जिस से हमारी सोंच व चिन्ता को यह किरण व प्रकाश मिलता है के हम किसी ग़रीब को अपनी जाति सम्पत्ति नहीं देते, बल्कि इस का अधिकार जो हम अपने पास रोक रखे थे, इसी को लौटा देते हैं।

जैसा के हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मआ़ज़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को यमन का मुखिया

बना कर भेजा तो इन्हें चंद मार्गदर्शी भी फरमाई थीं। पूर्ण इन के यह भी आदेश हैः-

भाषांतरः- तुम इन्हें यह सूचना दो के अल्लाह तआ़ला ने इन पर ज़कात फर्ज़ किया है, जो धनी व मालदारों से ली जाएगी तथा मोहताजों व दरिद्र को लौटादी जाएगी।

(सहीह बुक़ारी, हदीस संख्याः 1496)

यहाँ सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने ज़कात के सिलसिले में आदेश फरमायाः के वे ग़रीबों को लौटादी जाएगी, यह नहीं कहा के धनी व मालदारों से ली जाएगी तथा ग़रीबों को दी जाएगी, बल्कि यह आदेश फरमाया के ग़रीबों को रोकी जाएगी यथा इन्हों लौटा दिया जाएगा। हालांकि लौटाना अलग बात है तथा देना, प्रदान करना अलग हैसियत रखता है। इसी से ज़कात का सिद्धांत व दर्शनशास्त्र स्पष्ठ हुआ।

ज़कात का संपादन करना ग़रीब पर सहायता नहीं

स्पष्ठ रहे के ज़कात देने वाला ग़रीब को राशि देकर कोई कृपा व उपकार नहीं कर रहा है। बल्कि इसी की राशि लौटा रहा है। लौटाना इसी समय कहते हैं, जब कोई किसी कि प्रभुत्ब इस के मालिक को लौटाता है।

अल्लाह तआ़ला के हबीब सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने बताया के धनी व मालदारो! तुम तुम्हारे मालों में से किसी मोहताज व दरिद्र को जो ज़कात देते हो, वह इसी का भाग व हिस्सा होता है, अल्लाह तआ़ला ने इस को हिस्से को तुम्हारे धन में रखा है। जो तुम इसे लटा रहे हो।

जब मानव को यह सोंच व चिन्ता मिल जाती है तो वह ज़कात के संपादन के बाब में किसी पर कृपा व उपकार नहीं जताता तथा यदि कोई कृपा

जताता भी है तथा धन दे कर प्रसन्न करने के बजाए किसी का दिल दुखाता है तो इसका सवाब व्यर्थ कर दिया जाता है तथा इस कि नेकी व्यर्थ हो जाता है।

अर्थात अल्लाह तआ़ला ने हमें इस बात पर सचेत करते हुए आदेश फरमायाः-

भाषांतरः- ऐ ईमानवालो! तुम अपने खैरात व सदखे को उपकार व कृपा जतला कर तथा दिल दुख देकर इस व्यक्ति के प्रकार नष्ट मत करो, जो लोगों को दिखाने के लिए अपना धन खर्च करता है।

(सुरह अल बक़राः 02:264)

इस आयत में हमें आदेश दिया जा रहा है के किसी कि मदद व सहायता जताना भी नहीं चाहिए तथा अपनी कृपा व उपकार याद दिला कर इस का दिल दुखाना भी नहीं चाहिए तथा ना रियाकारी व दिखावा करते हुए अपना खैरात व दान को नष्ट करना चाहिए।

ज़कात के संपादन से धन में बरकत होती है

यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी पर अपना धन खर्च करता है तो ऐसा है के वह अपने लिए और अपनी आखिरत (परलोक) के लिए सम्पत्ति व कुटुम्बी जमा कर रहा है।

धन बाह्य रूप से कम होता दिखता है किन्तु वास्तव में बढ जाता है। यह ऐसी सच्चाई है, जिस का वचन खुद अल्लाह तआ़ला ने हम गुलामों व सेवकों से फरमाया है के वह बन्दे के लिए इस की सम्पत्ति में खूब दानशीलता प्रदान करता है। अल्लाह तआ़ला आदेश करता हैः-

भाषांतरः- तुम जो कुछ ब्याज पर देते हो, ताकि वह लोगों के मालों में सम्मिलित हो कर बढ़ जाए, तो वह अल्लाह तआ़ला के यहाँ नहीं बढता। किन्तु जो ज़कात तुमने अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दी, तो ऐसे ही लोग (अल्लाह के यहाँ) अपना माल बढ़ाते हैं।

(सुरह अल रूमः 30:39)

ज़कात को स्थापित करने कि हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है के अपने धन की ज़कात देने वाले सौभाग्य, अल्लाह कि राह में खर्च कर के अपनी राशि को बढ़ाया करते हैं।

ज़कात संपादन करने से सम्पत्ति व पूंजी बढ़ जाती है तथा इस में बरकत होती है।। इसी लिए ज़कात का एक अर्थ बढ़ने तथा अधिक होने के हैं, ज़कात से मानव का दिल पवित्र व शुद्ध होता है, दिल कि सफाई व पवित्रता होती है। धन भी बढता है तथा इस में उन्नति व प्रगति भी होती है।

ज़कात का महत्व तथा इसे संपादन करने के लाभ से संबंधित कई हदीसें स्पष्ठ हुए हैं। इन में एक यह भी है के ज़कात संपादन करने से धन सुरक्षित हो जाता है। इमाम तबरानी कि मुअ़जम कबीर में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः- हज़रत अबदुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, इन्हों ने फरमाया, हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम अपने मालों को ज़कात अदा कर के सुरक्षित कर लो तथा अपने बीमारियों की खैरात व दान के द्वारा इलाज करो।

(अल मुअ़जम अल कबीर, हदीस संख्याः 10044)

ज़कात संपादन ना करने पर परलोक में शरीर को दाग़ा जाएगा

इन लाभ व प्रतिष्ठा के बावजूद यदि कोई ज़कात संपादन ना करे तथा इसे अपने पास जमा कर के रखे तो ऐसे व्यक्ति को क़ुरान मजीद तथा हदीसों में कठिन चेतावनियों की समाचार दी गई है। अर्थात सुरह तौबा में अल्लाह तआ़ला ने आदेश फरमाया हैः-

भाषांतरः- और जो लोग अपने पास सोने तथा चाँदी को एकत्र करके रखते हैं तथा इसे अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं कतरे, इन्हें दुखद यातना की शुभ-सूचना दे दो।

(सुरह अत तौबाः 09:34)

जो लोग धन का संचयन करते हैं तथा अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, इन्हें अल्लाह तआ़ला ने स्पष्ठ रूप से सचेत कर दिया के अल्लाह तआ़ला तथा इस के हबीब सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम कि आज्ञालंघन करने के कारण इन्हें दुखद यातना दिया जाएगा। अल्लाह तआ़ला का आदेश हैः-

भाषांतरः- (क़यामत के) दिन वह (धन) नरक व जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इस के द्वारा इन की ललाटों तथा उनके पहलुओं तथा उनकी पीठों को दाग़ा जाएगा (और कहा जाएगा)- यही वह धन है, जिसे तुम ने अपने लिए संचय किया, तो कुछ तुम संचित करते रहे हो, उसका मज़ा रखो।

(सुरह अत तौबाः 09:35)

धन- ज़कात संपादन करने पर जहरीला साँप बन कर डसेगा

ज़कात को संपादन ना करने पर धन का भारी तराजू बना दिया जाएगा तथा ज़कात संपादन ना करने वाले कंजूस के गले में डाल दिया जाएगा। इस

प्रकार के अनेक यातना व आपत्तियों में ज़कात ना देने वाले को व्यस्त किया जाएगा, सुरह आले इ़मरान में आदेश हो रहा हैः-

भाषांतरः- और जो लोग उस चीज़ में कृपणता से कम लेते हैं, जो अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें प्रदान की है, वे यह न समझें कि यह उनके हित में अच्छा है, बल्कि यह उनके लिए बुरा है। जिस चीज़ में उन्हों ने कृपणता से काम लिया होगा, वही आगे क़यामत के दिन उनके गले का तौक़ बन जाएगा।

(सुरह आले इ़मरानः 03:180)

ज़कात संपादन ना करने वाले कंजूसों के गले में जो तौक़ डाला जाएगा, इस के विस्तार व तफसील में हदीसों से मिलती है, सहीह बुक़ारी शरीफ में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः- हज़रत अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है, इन्हों ने फरमाया, हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः अल्लाह तआ़ला ने जिस व्यक्ति को धन प्रदान किया, तथा इस ने धन की ज़कात संपादन नहीं की तो क़यामत के दिन इस का धन इस के लिए अत्यन्त जहरीला साँप बना दिया जाएगा। इस की आँखों पर परदा काले नुक़ते होंगे, (इस प्रकार का सांप बहुत जहरीला होता है)। यह सांप क़यामत के दिन तौक़ के प्रकार इस व्यक्ति की गरदन में डाल दिया जाएगा, फिर वह इस व्यक्ति के दोनों जबडे पकड कर कांटेगा तथा कहेगा के मैं तेरा वह धन हुं, मैं तेरा वह खजाना हुं, जिस की तूने ज़कात ना दिया।

फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने यह आयत कि तिलावत फरमाई, और जो लोग कंजूसी करते हैं, इस चीज़ में जो अल्लाह तआ़ला ने इन्हें अपनी कृपा से दी है। वह कभी इसे अपने लिए अच्छा ना समझें।

बल्कि वह इन के लिए बुरा है, वह जिस में कंजूसी किए थे, क़यामत के दिन उसे इन के गले का तौक़ बनाया जाएगा। (सुरह आले इ़मरानः 03: 180)

(सहीह बुक़ारी, हदीस संख्याः 1403)

धन ज़कात के साँप बनाए जाने के कारण ?

ज़कात के धन को क़यामत के दिन खतरनाक व डरावना जहरीले साँप के रूप में बना दिया जाएगा। अल्लाह तआ़लाचाहता तो किसी औऱ तरीक़े से भी ज़कात संपादन ना करने की सजा दे सकता था, किन्तु इस के लिए साँप के द्वारा सजा देने का संकलन किया।

इसी सिलसिले में हज़रत अबुल हसनात मुहद्दिस देक्कन रहमतुल्लाहि अलैह ने अत्यन्त श्रेष्ट विचार वर्णन किया। अर्थात कहते हैः-

ज़कात धन का मैल है तथा अपवित्रता व अशुद्धता है। इसी लिए ज़कात का धन खाने से मना किया गया है के सम्पूर्ण धन की अपवित्रता व अशुद्धता ज़कात में जमा हो जाती है तथा बाखी धन पवित्र व शुद्ध हो जाता है। शर्त है के पवित्र कमाई से कमाया गया हो। जैसे कुँएं में चूहा गिरने से सब पानी अपवित्र हो जाता है तो चंद ड़ोल पानी निकालने से बाखी पानी पवित्र हो जाता है। ऐसा ही ज़कात देने से बाखी धन पवित्र हो जाता है। चंद ड़ोल पानी ना निकाला जाए तो कुंए का सारा पानी अपवित्र व अशुद्ध ही रहता है। इसी प्रकार ज़कात के ना देने से सम्पूर्ण धन अपवित्र का अपवित्र ही रहता है और इस की अपवित्रता व अशुद्धता क़यामत के दिन प्रकट होगी। जिस प्रकार अपवित्रता व अशुद्धता में कीडे पैदा होते हैं, इसी प्रकार अपवित्र धन साँप बन कर ज़कात ना देने वाले के गले में लपट कर डसना शुरु

करेगा तथा कहेगाः मैं तेरा धन हुं जो तू ने अल्लाह तआ़ला का अधिकार ना दे कर जमा किया था।

(मवाहिज़ हसनाः जिल्द 1, पः 193,194)

ज़कात का निर्धारित राशि करने सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को अधिकार

अल्लाह तआ़ला ने सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के द्वारा से ज़कात के निर्धारित राशि की तफसील व विस्तार बतलाई। वरना क़ुरान करीम में आप को स्पष्ठ रूप से कहीं नहीं मिलेगा के सोने पर इतनी ज़कात फर्ज़ है। व्यापार में इतना धन हो तो ज़कात फर्ज़ है या धरती से अनाज़ और खेती हुई है इन की भी ज़कात संपादन की जाए।

खेती-बाड़ी में इतनी संख्या में ज़कात निकाली जाएगी। अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम में स्पष्टता के साथ कहीं नहीं फरमाया, अल्लाह तआ़ला ने जहाँ पर भी ज़कात का वर्णन किया, किन्तु कहीं इस कि संख्या नहीं बतलाई।

बल्कि हबीब पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को अधिकार दे दिया के तुम इन से पूछ लो। कितनी संख्या में ज़कात फर्ज़ है। इस की संपादन की कया शर्तें हैं तथा कया अहकाम हैं ?

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने ही अपने अधिकार से इसे घोषित किया। सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसलल्म ने ही इसे स्थापित फरमाया के राशि कितनी संख्या में देनी चाहिए।

इस कि स्पष्ठता फरमाई, अर्थात सोने तथा चांदी के निर्धारित राशि से संबंधित सुनन अबु दाउद शरीफ में ह्दीस पाक हैः-

भाषांतरः- हज़रत आ़सिम बिन ज़मरह तथा हज़रत हारिस – हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित करते हैं वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हों तथा इस पर वर्ष बीत जाए तो इस में पांच दिरहम (ज़कात के रूप देना अनिवार्य है) तथा सोने में तुम पर कोई चीज़ वाजिब नहीं, यहाँ तक के तुम्हारे लिए 20 दीनार हों तो जब तुम्हारे लिए 20 दीनार हो जाएं और इस पर वर्ष गुज़र जाए तो इस में आधा दीनार है। फिर इस पर जो समावेशन हो, इस के हिसाब से (ज़कात वाजिब होगी)।

(सुनन अबी दाउद, हदीस संख्याः 1575)

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया के यदि किसी के पास 200 दिरहम चांदी हो तथा 20 दीनार सोना हो तो इस पर ज़कात फर्ज़ है, इस में 40th (चालीसवां) हिस्सा ज़कात निकालना चाहिए।

ज़कात किस व्यक्ति पर फर्ज़ है ?

स्पष्ठ रहे के इसलाम धर्म ने अपने साये में जीवन गुज़ारने वाले हर व्यक्ति पर ज़कात फर्ज़ नहीं की है। वरना ग़रीब व मोहताज (दरिद्र) लोग जिन के पास 2 समय की रोटी सहीह रूप में उपलब्ध नहीं होती इन्हें भी ज़कात संपादन करना होता।

क्यों के इस्लाम का कानून हर किसी की जीवन को चैन व सकून तथा राहत प्रदान करने वाला कानून है।

इसी लिए शरीअ़त ने केवल ऐसे व्यक्ति पर ज़कात फर्ज़ की है जो अपना पास धन व सम्पत्ति तथा सोना और चांदी रखता हो तथा इस पर पूर्ण वर्ष गुज़र जाए। इस के ज़िम्मे किसी का उधार ना रहा हो, यदि उधार था तो

उधार को निकालने के बाद कोई 20 दीनार सोने का या 200 दिरहम चांदी का या इन के मूल्य का मालिक रहा हो तथा वह धन इस के प्रभुत्ब व अधिकार में रह हो तो यह व्यक्ति साहिबे-निसाब कह लाएगा। ऐसे व्यक्ति पर अल्लाह तआ़ला की सन्तुष्टी के लिए अपने धन का 40th (चालीसवां) हिस्सा निकालना और ज़कात संपादन करना फर्ज़ है।

वर्तमान काल में ना तो दिरहम का सिक्का चलता है तथा ना दीनार का रीति-रिवाज है। अब इस समय धान के सिक्के और कागज़ी नोट चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ज़कात के संपादन का सिलसिला कया होना चाहिए?

हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने जो निसाब स्थापित किया है, निसाब तो वही स्थापित होगा।

इस सिलसिले में दक्षिण भारत में सब से प्रथम हज़रत अबदुल हई फिरंगी रहमतुल्लाहि अलैह ने अनुसंधान फरमाया। शैक़ुल इस्लाम इ़माम मुहम्मद अनवारुल्लाह फारूखी रहमतुल्लाहि अलैहि संस्थापक जामिया निज़ामिया तथा आप के विशेष पाठक हज़रत मुफती रुकुनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह मुफती प्रथम जामिया निज़ामिया तथा यहाँ के आधिकारपूर्ण विद्वान व मुफतियों ने जो अनुसंधान फरमाया, इस का निसाब यदि ग्रामों में परिवर्तन (बदला) किया जाए तो 20 दीनार के 60 ग्राम, 755 मिलीग्राम होते हैं।

200 दिरहमों कि संख्या वर्तमान शरीअ़त के अनुसार 425 ग्राम, 285 मिलीग्राम होती है।

यदि किसी के पास 60 ग्राम, 755 मिलीग्राम सोना हो या 425 ग्राम, 285 मिलीग्राम चांदी हो या इस संख्या के बराबर राशि हो तथा इस व्यक्ति के पास वह राशि एक वर्ष तक उपलब्ध रहे तो वह व्यक्ति साहिबे-निसाब कहलाएगा तथा इस पर ज़कात का संपादन करना फर्ज़ हो जाएगा।

उत्तर भारत के विद्वान का अनुसंधान के अनुसार वर्तमान में ग्रामों में सोने का निसाब 87 ग्राम, 480 मिलीग्राम तथा चांदी का निसाब 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है।

धान के सिक्के तथा कागज़ी नोट बाह्य रूप से तो सोना चांदी नहीं, किन्तु वह एक निर्धारित संख्या में सोना या चांदी कि हैसियत अवश्य रखती है। क्यों के वह राज्य व सरकार के नज़दीक सोना तथा चांदी के बदले विनिमेय हुआ करती है।

स्पष्ठ रहे के ज़कात केवल सोना तथा चांदी तक सीमित नहीं! बल्कि ज़कात व्यापार का धन, व्यापार के वस्तुएं तथा जानवरों आदि में भी फर्ज़ है, जबके वह साहिबे-निसाब हों।

इस सिलसिले में अधिक विस्तान व तफसील जान्ने के लिए लेखक की पुस्तक *मसाइले-ज़कात अस्र हाज़िर के तनाज़ुर में* दर्शन व परीक्षा की जा सकती है।

ज़कात का धन कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए ?

ज़कात की राशि कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए तथा इस के योग्य कैसे लोग हैं। इस कि स्पष्टीकरण व निर्वचन हमें क़ुरान मजीद में मिलती है। अल्लाह तआ़ला का आदेश हैः-

भाषांतरः- निस्संदेह सदक़े (ज़कात तो बस ग़रीबों, मुहताजों तथा उन लोगों के लिए हैं, जो इस कार्य पर नियुक्त हों तथा उनके लिए जिनके दिलों की आकृष्ट करना तथा परचाना अभीष्ट हो तथा गर्दनों को छुड़ाने और क़र्ज़दारों (देनदार) (ग़ुलामों को आज़ाद करवाने में तथा क़र्ज़दारों को उधार देने में) और तावान भरनेवालों को सहायता करने में, अल्लाह के मार्ग में, यात्रियों

की सहायता करने में लोगों के लिए है। यह अल्लाह तआ़ला की ओर से ठहराया हुआ आदेश है। अल्लाह सब कुछ जाननेवाला, अत्यन्त तत्त्वदर्शी है।

(सुरह अत तौबाः 09:60)

सुरह तौबा की इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने 8 लोगों की तफसील वर्णन की। जिन्हें ज़कात का राशि दी जा सकती है। निष्कर्ष यह है के हमारे समाज़ तथा पर्यावरण में हम ज़कात ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं, जो साहिबे-निसाब ना हो यथा इस व्यक्ति पर ज़कात फर्ज़ ना हो, वह व्यक्ति ज़कात की राशि प्राप्त करने का योग्य है।

ज़कात के संपादन में यह बात ध्यान रखनी चाहिए के इस कि राशि मनुष्य के लिए अपने परिवार यथा माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, इसी प्रकार ऊपर के सम्पूर्ण परिवार के सदस्य (ददयाल व ननयाल की ओर से), नातेदारों व रिश्तेदारों को देना श्रेष्ट नहीं।

और बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी तथा नीचे तक के सम्पर्ण औलादों को ज़कात देना जाइज़ नहीं। अधिक पति, पत्नी भी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, इन के सिवा अन्य नातेदारों व रिश्तेदारों यदि ज़कात के योग्य हों, सादात (रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के परिवार वाले) ना हों तो अन्य सदस्यों को ज़कात देने के समान रिश्तेदारों को ज़कात देना श्रेष्ठतर है।

क्यों के अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने के कारण दुगना सवाब व पुण्य प्राप्त होता है। अपने रिश्तेदारं को ज़कात देने से अल्लाह तआ़ला दुगना पुण्य दान करता है। एक तो ज़कात के संपादन करने का, दुसरा इन के साथ भलाई से पेश आने का। जैसा के जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः- हज़रत रुबाब अपने चाचा सलमान बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित करती हैं, वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः ..... मिसकी व दरिद्र पर खर्च करना सदखा व खैरात है तथा रिश्तेदारों पर खर्च करना भलाई व सदखा दोनों को शामिल है।

(जामे तिरमीज़ी, हदीस संख्याः 660)

ज़कात संपादन करने वाले के लिए सर्वश्रेष्ट यह है के सब से प्रथम अपने योग्य भाईयों तथा बहनों को ज़कात दें, फिर इन की औलाद को फिर अन्य रिश्तेदारों में चाचा, फूफी, फिर इन की औलाद फिर मौसा (मामू), खाला (मौसी), तथा इन की औलाद का ध्यान रखें।

अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है के हमें पूर्ण इ़मान तथा नेक कर्म से आभूषण करे, इसलाम के अङकामों कि पाबंदी कने तथा रोज़े व नमाज़, हज्ज व ज़कात को विरक्तता व एकांतता के साथ संपादन करने वाला बनाएं।

आमीन...

अनवारे-क़िताबत-09